

न्यायालय-विनोद कुमार शर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)

व्यवहार वाद क्रमांक 29ए/13

संस्थित दिनांक 11.02.2013

1. शांति देवी पत्नी वेवा मिजाजी आयु 40 साल
2. गुडडी उर्फ केशकली पुत्री श्री मनीराम पत्नी
इमलेश निवासी ग्राम गोपालपुरा परगना व
जिला भिण्ड

.....आवेदक/वादीगण

// बनाम //

छविराम पुत्र श्रीराम उम्र 35 वर्ष निवासी
गोपालपुरा पर. व जिला भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदक/प्रतिवादी

// आदेश //

// आज दिनांक 06/08/2013 को पारित किया गया //

1. इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0 पी0 सी0 आई0 ए0 एन0 1 का निराकरण किया जा रहा है ।
2. आवेदन पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/वादीगण क्रमांक 1 एवं 2 गोपालपुरा परगना व जिला भिण्ड के निवासी हैं। वादी क्रमांक-1 श्रीराम बघेल के पुत्र मिजाजी की विधवा है तथा वादी क्रमांक-2 गुडडी उर्फ केशकली श्रीराम के पुत्र मनीराम की पुत्री है। प्रकरण में विवाद गोपाल पुरा स्थित श्रीराम के द्वारा छोड़ी गई आ.क्रं. 40 रकवा 0.410, आ0क्रं0 156 रकवा 0.460 एवं आ0क्रं0 421 रकवा 0.150 कुल कित्ता 3 रकवा 1.20 के सम्बन्ध में है। जिसे गुलियाई व वराह के नाम जाना जाता है। सजरा खानदान के मुताबिक श्रीराम के तीन पुत्र मिजाजी, मनीराम एवं छविराम तथा एक पुत्री विटोली है। विवादित आराजी में सभी का हिस्सा समान भाग होकर $1/4-1/4$ है। किन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मौजा पटवारी से मिलकर उक्त हिस्सा $1/4$ को $1/3$

निरंतर

कराकर वादी क्रमांक 1 एवं 2 के हिस्से को मारने की नीयत से मिजाजी के हिस्से को खत्म कर दिया है और प्रतिवादी क्रमांक 2 जो प्रतिवादी क्रमांक 1 की बहिन एवं श्रीराम की पुत्री है, से उसका हिस्सा अपने नाम बिक्रय पत्र के माध्यम से बगैर किसी प्रतिफल के प्राप्त कर लिया है। जिससे वादीगण को उक्त जमीन में कम हिस्सा प्राप्त हुआ है। वादी क्रमांक-1 की शादी श्रीराम के पुत्र मिजाजी के साथ सम्पन्न हुई थी और जिसकी मृत्यु एक साल बाद हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप वह वेवा हो गई। श्रीराम के पुत्र मनीराम का विवाह नहीं हुआ था उसने वादिया क्रमांक-1 से संबंध बना लिये जिससे वादी क्रमांक-2 का जन्म हुआ जिसके आधार पर वह मनीराम का हिस्सा प्राप्त करने की एवं वादी क्रं. 1 अपने पति मिजाजी का हिस्सा विवादित भूमि में प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

3. दिनांक 15-09-2012 को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर वादिया ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से कहा तो वह झगड़े पर आमादा हो गया, काबिज भूमि को छोड़ने की धमकी देने लगा तथा कब्जा ना छोड़ने पर गाँव से बाहर निकालने की धमकी देने लगा। वादिया ने राजस्व प्रपत्रों की नकल लेने के लिये दिनांक 28.09.2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। वादिया ने कम हिस्सा मिलने के सम्बन्ध में जब दिनांक 24-12-2012 को प्रति0 क्रं0-1 से पूछा तो उसने कहा कि उसने अपनी बहिन का हिस्सा खरीद लिया है मिजाजी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ज्यादा करोगी तो दवंग ठाकुर को हिस्सा बचे देगा। पटवारी ने उसे धौंस दी कि चुप रहो नहीं तो जिन्दा नहीं रहोगी। जिसके सम्बन्ध में वादिया क्रं0-1 ने दिनांक 26-12-2012 को पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदन भेजा जिसकी प्रति थाना प्रभारी बरोही को भेजी। जिसके बाद से प्रति0क्रं0-1 आराजी को बिक्रय करने के फिराक में है। वादिया के हक में प्रथम दृष्टया मामला है। यदि प्रति0 -1 आराजी को बिक्रय करने में सफल हो गया तो उसे अपूर्तिनीय क्षति होगी। अतः यह सहायता चाही है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किया जावे कि विवादित भूमि के वादीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि को अन्यत्र कहीं रहन वय ना करें व कब्जा काश्त में किसी प्रकार हस्तक्षेप ना करे।

निरंतर

4. प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से आवेदन पत्र का जबाब प्रस्तुत कर प्रकट किया गया है कि वादी क्रमांक 1 मिजाजी की विधवा नहीं है तथा वादी क्रमांक-2 गोपाल पुरा में निवास ना कर शादी के करीब 15 वर्ष से ससुराल में रह रही है। मिजाजी अविवाहित फौत हुये थे उनकी मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादी क्रमांक-2 मनीराम की पुत्री है। विवादित आराजी क्रमांक एवं रकवा सही उल्लेख किया गया है। सजरा खानदान मूरिस श्रीराम व उनके पुत्रों एवं पुत्री तक तो सही है किन्तु मृतक मिजाजी की पत्नी वादिनी क्रमांक-1 को गलत लेख किया है। वह मनीराम की पत्नी थी। विवादित आराजी में सबका हिस्सा 1/4 होना गलत अंकित किया है। मिजाजी के अविवाहित फौत हो जाने से श्रीराम द्वारा छोड़ी गई जायदाद दोनों पुत्रों एवं पुत्री के बीच समान रुप से 1/3 भाग में बांटी गई। प्रतिवादी ने पटवारी से मिलकर हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 नहीं कराया बल्कि कानून के अनुसार कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिवादी क्रमांक-2 का हिस्सा बिना प्रतिफल के प्राप्त नहीं किया है। वादिनी मनीराम की पत्नी थी वादिनी क्रमांक-2 उसकी पुत्री थी। वादिनी क्रं.1 एवं 2 स्व. मिजाजी के हिस्सा को प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने के कतई फिराक में नहीं है। आवेदन पत्र के शेष समस्त तथ्यों को मनगढ़त, असत्य एवं निराधार होने से वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1. क्या वादी का प्रथम दृष्टया वाद है?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है?
3. क्या वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी ना किए जाने से उसे अपूर्णीय क्षति कारित होगी?

!! विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1!!

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अपने अपने अभिवचनों का समर्थन करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वादी द्वारा अपने दावा एवं आवेदन पत्र में यह बताया गया है कि विवादित आराजी मूलतः श्रीराम पुत्र पतोखी के स्वामित्व एवं

निरंतर

आधिपत्य की रही है। उनकी मृत्यु के पश्चात भूमि उनके तीन पुत्रों मिजाजी, मनीराम एवं छबिराम तथा बिटोली को गई थी। वह मिजाजी की विवाहिता पत्नी है। मिजाजी की मृत्यु होने पर सामाजिक रीति के तहत उसी घर में रही तथा मनीराम जो कि अविवाहित था के साथ सम्बन्ध बना लिये जिससे अनावेदक क्रमांक-2 का जन्म हुआ। प्रतिवादी क्रमांक-1 का कहना है कि मिजाजी अविवाहित था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वादी क्रं.1 मनीराम की पत्नी तथा वादी क्रं. 2 मनीराम की पुत्री है। इस प्रकार प्रकरण में वादी को यह प्रमाणित करना है कि वह मिजाजी की पत्नी रही है और विवाह के पश्चात मिजाजी की मृत्यु हुई थी, वादी ने इस सम्बन्ध में सूची मुताबिक थाना बरोही को जॉच में दिये गये कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। किन्तु उक्त कथन शपथ पर नहीं है। कथन छबिराम द्वारा दिया गया है। इसका निराकरण गुणदोष पर किया जाना है। वादी को उक्त तथ्य के सम्बन्ध में प्रथमदृष्टया स्वयं को मिजाजी की पत्नी होने की साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इस सम्बन्ध में वादी ने अपनी ओर से कोई लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे पुलिस थाना बरोही द्वारा प्रस्तुत छबिराम के कथन की सम्पुष्टि हो सके।

7. मुताबिक राजस्व अभिलेख वर्ष 1992 अधिकार अभिलेख में विवादित आराजी श्रीराम पुत्र पतोखी के नाम की रही है। उसके पश्चात प्रस्तुत खसरा वर्ष 2012-2013 में विवादित आराजी पर छबिराम पुत्र श्रीराम का 2/3 भाग तथा वादीगण का 1/3 भाग पर इन्द्राज है। इस प्रकार मुताबिक राजस्व अभिलेख वादीगण का 1/3 भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य है।
8. वादी का यह भी कहना है कि छबिराम ने बहिन बिटोली से अवैध रूप से उसके भाग का बयनामा करा लिया। लेकिन बयनामा की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। वादी स्वयं स्वीकार करते हैं कि विवादित भूमि में बिटोली बाई का 1/4 हिस्सा था। ऐसी दशा में यदि बिटोली बाई के हक का बयनामा किया गया है तो वह किस प्रकार से अवैध है इस सम्बन्ध में वादी का कोई अभिवचन नहीं है। दूसरी ओर वादी को किसी सह स्वामी द्वारा अपने हिस्से के भूमि को विक्रय किये जाने पर उसके निष्पादन एवं प्रतिफल के संबंध में चैलेंज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

निरंतर

9. वादी का यह कहना है कि प्रतिवादी विवादित आराजी में उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करता है। लेकिन मुताबिक खसरा वर्ष 2012-2013 विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य इन्द्राज है। विवादित आराजी का बटवारा पक्षकारों के मध्य हुआ हो इस सम्बन्ध में कोई अभिवचन नहीं है। ऐसी दशा में प्रत्येक सहस्वामी को उपयोग एवं उपभोग का अधिकार है। अतः जहाँ सीमा विवादित भूमि की निश्चित नहीं है। वहाँ पर सहस्वामी के पक्ष में दूसरे स्वामी के विपक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
10. जहाँ तक विवादित भूमि के बिक्रय का सम्बन्ध है। वादी का यह कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि का बिक्रय करने हेतु प्रयासरत है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उक्त तथ्य से पूर्णतः इंकार किया है। विवादित भूमि का किसे बिक्रय करने का प्रयास किया गया इस सम्बन्ध में कोई अभिवचन एवं लेखीय साक्ष्य नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वर्तमान तक विवादित आराजी में किसी भी भाग का बिक्रय नहीं किया है। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके द्वारा भूमि के बिक्रय का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।
11. वादी को यह प्रमाणित करना है कि वह मिजाजी की पत्नी होने से मिजाजी के हिस्सा 1/4 की भूमिस्वामी हुई है। उक्त तथ्य के प्रमाणित हुये बिना वादी के पक्ष में मिजाजी के हक की भूमि पर उसका कोई हक होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
12. उपरोक्त समस्त विवेचन से यह दर्शित होता है कि विवादित भूमि संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य की है। वादी के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य में प्रतिवादी ने हस्तक्षेप किया हो इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा सहस्वामी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। जहाँ तक बिक्रय का प्रश्न है। भूमि बिक्रय किये जाने का तथ्य वादी ने आशंका के आधार पर उल्लेखित किया है। यदि भूमि का बिक्रय किया भी जाता है तो भी बिक्रय पत्र दावे के निराकरण के अधीन रहेगा और वह धारा 52 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आयेगा। अतः यदि वादी विवादित भूमि में अपना 1/4 और अधिक भाग होना प्रमाणित करता है

निरंतर

तो भी उसके हकों पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं रहेगी ।

13. उपरोक्त विवेचन के आलोक में अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला मानने योग्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। अतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 प्रमाणित नहीं होता है।

!! विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 !!

14. पूर्वोक्त विचारणीय बिंदु क्रमांक 1 के निराकरण से वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला दर्शित नहीं हुआ है। वादी को प्रथमदृष्ट्या कोई क्षति होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। अतः वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति जैसे बिन्दु भी दिखाई नहीं देते हैं। अतः उक्त दोनों विचारणीय बिन्दु भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।
15. उपरोक्त विवेचन से वादी के पक्ष में कोई भी विचारणीय बिन्दु प्रमाणित नहीं होने से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है।
16. आवेदन पत्र का व्यय उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगा।
17. उक्त आदेश का प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टाईप किया गया।
दिनांकित कर पारित किया गया ।

(विनोद कुमार शर्मा)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

भिण्ड (म0प्र0)

(विनोद कुमार शर्मा)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

भिण्ड (म0प्र0)

निरंतर